



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1102/1सी0 (वन)

दिनांक 11/09/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय-

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/31469/2018, कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.860 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

आपका ऑनलाइन ई०डी०एस० दिनांक 10.9.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई०डी०एस० के अनुपालन में बॉज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- बॉज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रारूप 22 पर मूल में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

पत्रांक-

/1सी0 वन

तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

परियोजना का नाम - राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-गौडी-वैठानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग ११० ३५) से ग्राम गौरीली तक मोटर मार्ग हेतु ०.८५० हे० वन पंचायत भूमि एवं मक हिसाबाल हेतु ०.०२० हे० कुल भूमि ०.८७० हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा दिनांक १६.०७.२०१८ को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र०सं०	ब्लाक	प्रजाति	वैज्ञानिक का नाम	व्यास वर्ग										योग	
				०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	९० से अधिक		
०१		बांज	Quercus Leucotrichophra Cannus ex Bahadur (syn. Q. incana Roxb	-	९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	९
		योग		-	९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	९

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


वन संरक्षक
श्रीवृंदापुर

उपवन संरक्षक

वन संरक्षक